न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 312 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 01.09.2016

1. कालु पिता भोला जाति धाकड निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. कैलाश पिता भोला जाति धाकड निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
3. जगदीश पिता काना जाति धाकड निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
4. देवीलाल पिता देवा जाति धाकड निवासी रामपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट्गण

विरूद्ध

जानीबाई बेवा राधेश्याम जाति धाकड निवासी कंथारिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
प्रकरण संख्या 100/2015 वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. सत्यनारायण ईनाणी–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 13.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट वादिया ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा कंथारिया तहसील बेगूँ की कृषि आराजी नम्बर 465/319 रकबा 0.81 हैक्टेयर कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट वादिया के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट वादिया के खातेदारी की कृषि आराजीयात पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए। जवाबदावा प्रस्तुत किया। इसी दरम्यान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली को दिनांक 13.06.2016 को राजस्व लोक अदालत मे नियत की गई। जिस पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट वादिया राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित हुए जिनमे किसी प्रकार का कोई राजीनामा नही हुआ न ही लिखित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजीनामा ही प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाकर विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट वादिया के खातेदारी की होना मानते हुए रेस्पोडेन्ट वादिया के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट वादिया को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट वादिया जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादिया ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत होने से पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर गुणावगुण पर पत्रावली का निस्तारण किया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रामपुरिया मे नियत की गई जिसमे उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का लिखित या मौखिक राजीनामा प्रस्तुत नही हुआ। बिना किसी साक्ष्य व सबुत के अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को डिक्री किया है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट वादिया ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने खातेदारी की कृषि आराजीयात मोजा कंथारिया तहसील बेगूँ की आराजी नम्बर 465/319 रकबा 0.81 हैक्टेयर जो राजस्व जमाबन्दी मे रेस्पोडेन्ट वादिया के खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही है। फिर भी अपीलान्टगण प्रतिवादीगण हमसलाह होकर उक्त कृषि आराजीयात पर जबरन कब्जा करना चाह रहे है। जिससे रेस्पोडेन्टण वादिया ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 01.02.2016 को अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। उसके पश्चात् उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रामपुरिया मे नियत की गई। उसी दिनांक को पटवारी हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट ली गई। जिसमे उक्त कृषि आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट वादिया का कब्जा अंकित किया गया। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित हुए जिनकी आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्व लोक अदालत मे सहमति के आधार पर वादपत्र निर्णित किया है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो सारहीन होकर निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादिया ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए। दिनांक 01.02.2016 को उक्त पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसकी नकल अधिवक्ता वादिया रेस्पोडेन्ट को दिलाई गई। उक्त पत्रावली वास्ते कायमी तनकियात विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट रामपुरिया मे नियत की जिसमे उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। राजीनामे की किसी प्रकार की सहमति नही हुई न ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे लिखित राजीनामा प्रस्तुत हुआ। ऐसी स्थिति मे उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा नही होने की स्थिति मे अपरिपक्व पत्रावली को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को उस न्यायालय मे पुनः भिजवा दी जानी थी जिस न्यायालय से पत्रावली प्राप्त हुई है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ प्रकरण संख्या 100/2015 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 23.01.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)